हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

पंचम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 39

वीरवार, 22 फरवरी, 2024/3 फाल्गुन, 1945(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 1202(स्थगित) पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 1448 से 1452 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों/मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1453 से 1491 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 497(स्थगित) तथा 617 से 642 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य कुलदीप सिह राठौर ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए अध्यक्ष महोदय से अफगानिस्तान से अवैध रूप से आ रहे सेब के कारण प्रदेश की मार्किट के लगातार गिरने से बागवानों की बर्बादी होने बारे विषय को सदन में उठाने की अनुमति मांगी। जिस पर अध्यक्ष महोदय ने उन्हें इस विषय को किसी अन्य नियम के तहत नोटिस देकर सदन में उठाने के लिए कहा।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज ने व्यवस्था के प्रश्न के द्वारा विषय उठाया कि उन्होंने पिछले सत्र में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से प्रदेश में मदरसों को खोलने बारे जानकारी मांगी थी जिस पर विभाग की ओर से उन्हें गलत सूचना दी गई है।

Ruling by the Speaker

"Anyway you can resort to the different rules which we have and I will consider whatever you have alleged."

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2022-23 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 15 की उपधारा (1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट एवं लेखा कथन रिपोर्ट, वर्ष 2022-23 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति** (वर्ष 2023-24) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के 84वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर बना 53वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि मत्स्य पालन विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 303वें मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर बना 216वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है।

4. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान - सामान्य चर्चा एवं समापन

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया –

1. **श्री होशयार सिंह**

कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय कृषि मंत्री ने पौंग बांध विस्थापितों के संबंध में वक्तव्य देते हुए बताया कि बैकवर्ड क्लासिज के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है और यदि राजस्थान की सरकार उनको यह आरक्षण नहीं देती है तो वे हिमाचल प्रदेश की सरकार से सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं कि यह कास्ट हिमाचल प्रदेश में भी बैकवर्ड क्लासिज में है और देश के अन्य क्षेत्रों में भी है। इस तरह वे इस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं।

माननीय सदस्य होशयार सिंह द्वारा चर्चा के दौरान पौंग बांध से विस्थापित हुए लोगों के बारे में जिक्र करने पर माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वे इस पर और भी गहनता से विचार करेंगे।

2. **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री**

विपक्ष के सदस्यगणों ने माननीय राजस्व मंत्री द्वारा चर्चा के दौरान प्रयोग किए गए एक शब्द पर आपत्ति व्यक्त की जिसे अध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही से निकालने हेतु आदेश दिए।

3. **श्री सतपाल सिंह सत्ती**

(01.25 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.30 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.40 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

चर्चा जारी-

4. **श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव**

(02.50 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

5. **श्री पवन कुमार काजल**
6. **श्री आर0 एस0 बाली**
7. **श्री रणधीर शर्मा**
8. **श्री केवल सिंह पठानिया**

(04.32 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

9. **श्री पूर्ण चन्द ठाकुर**
10. **श्री चैतन्य शर्मा**
11. **श्री चंद्र शेखर**

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी करने पर नेता प्रतिपक्ष ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि श्री चंद्र शेखर द्वारा केवल पिछली सरकार की पॉलिसीज, वर्किंग तथा पूर्व सरकार के अधूरे वायदे को क्रिटिसाइज किया गया है और उन्होंने किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है इसलिए नेता प्रतिपक्ष को इतना आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से नेता प्रतिपक्ष द्वारा श्री चंद्र शेखर के प्रति कहे गए शब्दों को कार्यवाही से निकालने हेतु आग्रह किया।

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर द्वारा **माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर** के प्रति कहे गए कुछ असंसदीय शब्दों को अध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही से निकालने के आदेश दिए।

माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार सदन के नियम बने हैं और उन नियमों के अनुसार प्रत्येक माननीय सदस्य को इस सदन में अपनी बात निर्भीकता से कहने का अधिकार है।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर ने चर्चा के दौरान किसी भी गलत शब्द का इस्तेमाल किसी के प्रति नहीं किया है और चर्चा के दौरान कभी-कभार पासिंग रेफरेंस आ जाता है।

सदन में उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की सामान्य चर्चा 20 घण्टे से ज्यादा समय तक चली है जोकि प्रशंसनीय है। इस चर्चा में सत्ता पक्ष से 27 तथा विपक्ष से 25 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और प्रत्येक सदस्य ने लगभग 18-19 मिनट से ज्यादा समय तक चर्चा की है।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना शुरू किया।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर के दौरान ज़िक्र करने पर कि जब पिछले वर्ष प्रदेश आपदा से जूझ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य तथा नेता प्रतिपक्ष अखबारों के माध्यम से विधान सभा का सत्र बुलाने के लिए सरकार से मांग कर रहे थे, पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण इस बात का खण्डन करते हुए विरोधस्वरूप अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए।

(**माननीय मुख्य मंत्री** ने संबंधित अख़बार की ख़बर की प्रति मामले की पुष्टि हेतु सदन में (lay) उपस्थापित की।)

(माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर के बीच में ही सदन की बैठक 6.30 बजे सायं से 7.15 बजे सायं तक बढ़ाई गई।)

माननीय अध्यक्ष ने विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगणों से अपने-अपने स्थान पर बैठने हेतु बार-बार आग्रह किया।

Ruling by the Speaker

"I will peruse the record. In any case, if it is not said, the same will be removed."

(6.40 बजे सायं विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य श्री संजय रत्न ने ऑफिसर्ज गैलरी में दरवाज़े के पास खड़े अधिकारी द्वारा सदन की कार्यवाही का वीडियो अपने मोबाइल पर बनाने की ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया।

इस पर **अध्यक्ष महोदय** ने टिप्पणी की कि यह विधान सभा का आन्तरिक मामला है इसलिए इस पर विधान सभा सचिवालय अपने स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर पूरा किया।

07.10 बजे सायं सदन की बैठक शुक्रवार, 23 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।